भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2395 जिसका उत्तर

शुक्रवार, 13 फ़रवरी, 2026/24 माघ, 1947 (शक) को दिया जाना है

ट्रांस- शिपमेंट पत्तनों का विकास

† 2395. श्रीमती डी. के. अरुणा :

श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा :

श्री विष्णुदयाल राम :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चिह्नित किए गए अल्पविकसित ट्रांस शिपमेंट पत्तनों की संख्या कितनी है;

(ख) विदेशी ट्रांस-शिपमेंट केंद्रों पर निर्भरता कम करने के लिए कितनी परियोजनाएं स्वीकृत या कार्यान्वयनाधीन हैं;

(ग) क्या सरकार के पास तटीय और लघु समुद्री पोत परिवहन के लिए नीतिगत सहायता के फलस्वरूप तटीय पोत परिवहन मात्रा में परिवर्तन और प्राप्त की गई लागत दक्षता से संबंधित आंकड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): दो।

(ग) और (घ): जी, हां। भारतीय पत्तनों पर विगत कुछ वर्षों के दौरान तटीय पोत परिवहन की मात्रा में वृद्धि हुई है। यह 2020-21 में 228 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) से बढ़कर 2024-25 में 336 एमएमटी हो गई है जो बढ़ते समुद्री व्यापार और भारत के लॉजिस्टिक्स और परिवहन क्षेत्र में तटीय पोत परिवहन के बढ़ते महत्व को दर्शाता है।

*****